



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, 400 के. व्ही लाईन (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, कांकेर द्वारा 132 के. व्ही डी.सी.एस.एस कोण्डागोव से नारायणपुर तक विद्युत पारेषण लाईन निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

वन मंडलवार वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

वन मंडल	संरक्षित वन भूमि रकबा (हे.)	राजस्व वन भूमि रकबा (हे.)	कुल रकबा (हे.)
दक्षिण कोण्डागोव	5.620	22.007	27.627
नारायणपुर	5.118	5.129	10.247
योग	10.738	27.136	37.874

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत व्यपर्वतन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 31/03/2017

स्थान: रायपुर

(आर.के. टेंटा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़
वन विभाग, रायपुर